



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

घर में घुसकर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के आरोपी महक सिंह, पप्पू, संजीव व मनोज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में अभियुक्तों महक सिंह पुत्र फेरू, पप्पू, संजीव व मनोज पुत्रगण महक सिंह निवासी गण ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी को घर में घुसकर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचायी गयी थी तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 313/2012 धारा 308/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-4 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों महक सिंह, पप्पू, संजीव व मनोज को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 504 भादवि में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



baghpattpolice



Baghpatt police



@baghpattpolice



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले आरोपी गप्पी उर्फ अनुज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 6000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त गप्पी उर्फ अनुज पुत्र योगेश निवासी पट्टी डूढा ग्राम ठिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित की गयी थी तथा अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की मो0सा0 बरामद हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 150/19 धारा 307/34 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0 152/19 धारा 414/411 भादवि पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गप्पी उर्फ अनुज को दोषी पाते हुए धारा 307/34 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 414/411 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpattpolice



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

संजय सिंह पुत्र आशाराम निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 775/2023 धारा 354ख/376/511/504 भादवि, 7/8 पोक्सो एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 775/2023 धारा 354ख/376/511/504 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तैय्यब पुत्र रोशन निवासी ग्राम अहमदशाहपुर पदड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 819 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत

दिनांक- 04.11.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 794/23 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई साईकिल बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 04.11.2023 को थाना बडौत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त संजय पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी देशू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके घर के अन्दर से उसके बेटे की साईकिल को चोरी कर ली गयी, जिसे ले जाते समय उसने जनता की मद से पकड लिया । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की गई साईकिल को कब्जे में लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 794/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी देशू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई साईकिल ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 289 सुंधीर पंवार थाना बडौत ।

2-हो0गा0 289 प्रवेन्द्र सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बिनौली

दिनांक 04.11.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 263/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 04 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरों (02 घायलावस्था) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से थाना बिनौली व थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र में ट्यूवैल से चोरी किया हुआ सामान एवं 02 अवैध तमंचें मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2023 को थाना बिनौली पर वादी श्री पुष्पेन्द्र पुत्र महावीर निवासी गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा ग्राम शेखपुरा के जंगल से उसकी व उसके ग्राम की अन्य ट्यूवैल से स्टार्टर, आपरेटर व केवल, कटआउट आदि सामान चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 263/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर चोरों

की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 263/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 04 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 किलो ग्राम तांबे का तार, 06 मीटर सबमरसेबिल की केबिल, 05 कटआउट, 22 स्टार्टर की तांबे की पत्तियाँ, 04 स्टार्टर (टूटे व सही), 15 नोजल गैस बैल्डिंग कटर, 04 मोटर की कॉयल तांबा तथा 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**नोट-** अभियुक्तों के कब्जे से थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के मु0अ0सं0 285/23 धारा 380 भादवि में चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हुआ है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1-हारून पुत्र लियाकत निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ (घायलावस्था)
- 2-अब्दुल पुत्र अली हसन निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ (घायलावस्था)
- 3-अंसार पुत्र इन्साद निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 4-अब्दुल पुत्र भूरे निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त अंसार का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 147/18 धारा 392 भादवि थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 310/18 धारा 392 भादवि थाना खरखोंदा जनपद मेरठ ।
- 3-मु0अ0सं0 285/23 धारा 380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 263/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि ( पुलिस मुठभेड) 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार अभियुक्त हारून का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 105/06 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 131/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जानी जनपद मेरठ ।
- 3-मु0अ0सं0 18/09 धारा 307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 4-मु0अ0सं0 62/10 धारा 307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 5-मु0अ0सं0 387/10 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ ।
- 6-मु0अ0सं0 389/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ ।
- 7-मु0अ0सं0 147/18 धारा 392 भादवि थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ।
- 8-मु0अ0सं0 252/18 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड व 34 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 9- मु0अ0सं0 254/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 10-मु0अ0सं0 255/18 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 11-मु0अ0सं0 285/23 धारा 380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 263/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि ( पुलिस मुठभेड) 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल पुत्र अली हसन का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 105/06 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 130/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जानी जनपद मेरठ ।
- 3-मु0अ0सं0 018/09 धारा 307 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
- 4-मु0अ0सं0 562/08 धारा 307/332/353/324/325 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।

5-मु0अ0सं0 285/23 धारा 380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 263/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि ( पुलिस मुठभेड) 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

### गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल पुत्र भूरे का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 58/11 धारा थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

2-मु0अ0सं0 324/13 धारा 379/411 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

3-मु0अ0सं0 73/16 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

4-मु0अ0सं0 83/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

5-मु0अ0सं0 285/23 धारा 380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 263/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि ( पुलिस मुठभेड) 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 05 किलो ग्राम तांबे का तार ।
- 06 मीटर सबमरसेबिल की केबिल ।
- 05 कटआउट ।
- 22 स्टार्टर की तांबे की पत्तियाँ ।
- 04 स्टार्टर (टूटे व सही)
- 15 नोजल गैस बैल्डिंग कटर ।
- 04 मोटर की कॉयल तांबा ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस ।
- एक तमंचा .12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्रपाल सिंह थाना बिनौली ।

2-उ0नि0 रामअवतार सिंह थाना बिनौली ।

3-उ0नि0 कुंवरपाल सिंह थाना बिनौली ।

4-है0का0 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली ।

5-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली ।

6-है0का0 15 यशविन्दर थाना बिनौली ।

7-है0का0 573 बालकिशन थाना बिनौली ।

8-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली ।

9-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली ।

10-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली ।

11-का0 478 अजीत चौधरी थाना बिनौली ।

12-का0 1002 तरुण कुमार थाना बिनौली ।  
13-का0 467 टिंकू अधाना थाना बिनौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना दोघट

दिनांक 04.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी आईसर केन्टर नं0 UP-17BT-5065 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 17 पशु बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक गाड़ी आईसर केन्टर नं0 UP-17BT-5065 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए कुल 17 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-इरफान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम वरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-राशिद पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला काजीबाडा जनपद शामली ।

### बरामदगी का विवरण:-

- तस्करी में प्रयुक्त आईसर केन्टर नं0 UP-17BT-5065
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 17 पशु ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।







प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत

दिनांक 04.11.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई मोटरसाईकिल हीरो पेशन एक्स प्रो नं0 DL-14SJ-9928 बरामद

|

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई मोटरसाईकिल हीरो पेशन एक्स प्रो नं0 DL-14SJ-9928 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिहू पुत्र सतपाल निवासी पट्टी अहिरान कस्बा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटरसाईकिल हीरो पेशन एक्स प्रो नं0 DL-14SJ-9928 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 19007/23 धारा 379 भादवि दिल्ली )

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 04.11.23

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के भिन्न-भिन्न अभियोगों से संबंधित 05 अपहृताओं को सकुशल किया बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 147/23 धारा 366 भादवि, मु0अ0सं0 261/23 धारा 363 भादवि, मु0अ0सं0 262/23 धारा 363 भादवि , मु0अ0सं0 154/23 धारा 366 भादवि व मु0अ0सं0 239/23 धारा 363 भादवि से संबंधित 05 अपहृताओं को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री मौ0 आशिफ थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-म0है0का0 मौसम गौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6-म0है0का0 रीतू रानी थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 04-11-2023

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम ककौर कलाँ थाना छपरौली जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना दोघट

दिनांक- 04.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से 43 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 43 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू पुत्र किरणपाल निवासी पट्टी मैनुमाना करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 43 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 449 कपिल शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 1077 संतोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 04.11.2023

**थाना खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-महाराज उर्फ मज्जू पुत्र इस्लामूदीन निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-रिंकू पुत्र आनन्द निवासी ग्राम निबाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 290 सैंसरपाल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 04.11.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 292/23 धारा 147/148/323/504/506/308  
भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2023 को थाना रमाला पर असलम पुत्र साबिर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-शौकीन पुत्र रहीस, 2-राजा, 3-अनीस 4.यासीन, 5.हसीम पुत्र रहीस 6.सुहेल पुत्र अनीस, 7-आरिफ पुत्र ईसरत व 02 महिला निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने वादी,



रिजवान पुत्र सरफत, सोबान पुत्र रिजवान, ताहिर पुत्र वजीर, नफीस पुत्र वजीर व आरिफ पुत्र साबिर निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला के साथ गाली-गलौच करते हुए एक राय होकर लाठी-डण्डों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । जिससे ताहिर पुत्र वजीर, रिजवान पुत्र सराफत गंभीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 292/2023 धारा 147/148/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 292/2023 धारा 147/148/323/504/506/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-शौकीन पुत्र रहीश निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-आरिफ पुत्र इशरत निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 801 भूपेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 913 शंकरलाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत ।